UPLL010025142023

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश उ.प्र.गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

उपस्थितः लोकेश कुमार , एच.जे.एस. (UP1629)

जी.एस.टी.सं. –915/23

राज्य प्रति रामलखन यादव आदि

धारा – 2/3 गैंगस्टर अधिनियम

थाना तालबेहट , जिला ललितपुर

आरोप

मैं, लोकेश कुमार, अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, (उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम), ललितपुर आप अभियुक्तगण **कन्हैया लाल , सुमित यादव, रामलखन यादव** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूं :–

यह कि आप अभियुक्त का एक अवैध संगठित गिरोह है और आप उस गिरोह के सरगना व सदस्य के रूप में आर्थिक, भौतिक एवं अन्य लाभ अर्जित करने के लिए चोरी, गाली–गलौज, धमकी देकर तथा अवैध हथियार के बल पर अवैध धन अर्जित करते हैं तथा दुनियावी लाभ अर्जित करते हैं एवं जनता में आपका भय व आतंक है। डर के कारण कोई व्यक्ति आपकी शिकायत करने अथवा गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है और आपका गैंग भा.द.सं. के अध्याय 16, 17 एवं 22 में वर्णित अपराध कारित करके समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त रहता है। आपके द्वारा किये गये अपराध निम्नवत है–

क्रम	**नाम पता अभियुक्त**	**मु०अ०सं० 316/21, धारा 379, 411 भा०दं०सं० थाना तालबेहट ललितपुर , आरोप पत्र सं. 134/22 दिनांकित 19.05.2022**	**मु०अ०सं० 333/2021, धारा 399, 402 भा०दं०सं० थाना तालबेहट ललितपुर , आरोप पत्र सं. 94/22 दिनांकित 29.03.2022**
1	कन्हैया पुत्र जाहर	Y	Y
2	सुमित यादव पुत्र कल्यान	Y	–
3	रामलखन यादव पुत्र जगदीश	Y	Y

आपके द्वारा कारित कृत्य, जो धारा 2/3 (उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986) के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण का प्रतिकथन पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोप से इंकार किया।

दिनॉक–04.04.2024

(लोकेश कुमार)
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम)
ललितपुर।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप के तहत आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–04.04.2024

(लोकेश कुमार)
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम)
ललितपुर।

<u>न्यायालय– विशेष न्यायाधीश उ.प्र.गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।</u>

<u>उपस्थितः लोकेश कुमार , एच.जे.एस. (UP1629)</u>

जी.एस.टी संख्या –411/2023

जी.एस.टी.सं. –915/23

राज्य प्रति रामलखन यादव आदि

धारा – 2/3 गैंगस्टर अधिनियम

थाना तालबेहट , जिला ललितपुर

<u>04.04.2024</u>

पत्रावली प्रस्तुत। अभियुक्तगण कन्हैया, सुमित यादव एवं रामलखन यादव न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये।

पत्रावली लंच बाद आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का आरोप विरचित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक..............................को पेश हो। अभियोजन पक्ष नियत दिनॉक को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनॉक–04.04.2024

(लोकेश कुमार)

अपर जिला एवं सत्र/

विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम)

ललितपुर।